To Book Classified Ads Visit
BhaskarAd.com
9772019222

हरियाणा सरकार

निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड कॉर्पो/ ऑथ. का नाम	कार्य का नाम निविदा सूचना	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनु.) रु. में	बोर्ड /कॉर्पो/ऑथ. की वेबसाईट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ईमेल
1.	एचएसएएमबी रोहतक	जिला रोहतक (ग्रुप-1) (कार्य योजना 2020-21) में कलानौर निर्वाचन क्षेत्र में विशेष मरम्मत 03 अदद लिंक रोड यानी (भाली आनंदपुर से बहु अकबरपुर -आईडी-1873, बनियानी से मरोधी -आईडी-1887 और जिंद्रान से गुढ़ाण -आईडी-1961) (श्री राम कुमार, ठेकेदार के जोखिम और लागत पर)	बंद होने की तिथि 18.12.2023	93.05 लाख	https://etenders.hry.nic.in	9992333860 eerohtak.hsamb@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in देखें। 13/2024/40/23218/I/10/6

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, HISAR

(Established by State Legislature Act 17 of 1995)
'A+' Grade NAAC Accredited

ADVT. NO.20/2023
(RE-ADVERTISEMENT OF SOME NON-TEACHING POSTS ADVERTISED VIDE ADVT.NO. 02/2022 & 02/2023)

Online applications are invited on the prescribed form for the various non-teaching posts on regular basis, which were earlier advertised by the University vide advt. No.02/2022 & 02/2023. The online applications forms will be available on the University website w.e.f. **07.12.2023** and the last date for submission of application forms on the University website will be **27.12.2023**. The copy of qualifications may be downloaded from University website. Detailed information with regard to number of posts, qualifications, selection criteria etc. may be seen on the University website **(www.gjust.ac.in)**.

REGISTRAR

1237/11/81/2024/23213/10/6

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत
संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209
ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

Skyline Financial Services Pvt. Ltd.

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत
संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97
ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निरंतर

30 लाख का बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते एसडीओ गिरफ्तार, 50 हजार रुपए बरामद

राादौर (यमुनानगर) | एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) करनाल की टीम ने गुरुवार शाम बीडीपीओ कार्यालय में पंचायती राज के एसडीओ संदीप कौशिक को बिल पास कराने की एवज में ठेकेदार से 50 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। रादौर निवासी राजबीर उर्फ राजू पंचायती विभाग में ठेकेदार के तौर पर कार्यरत है। विभाग में कराए गए करीब 30 लाख रुपए के कार्यों के बिलों के भुगतान लिए राजू काफी समय से चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि एसडीओ संदीप कौशिक ने बिल पास कराने के लिए मोटा कमीशन मांगा था। राजबीर उसे 10 हजार रुपए दिए थे और 50 हजार रुपए और देने थे। राजबीर ने विजिलेंस को शिकायत देकर एसडीओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

संगरूर में सरपंच की नाबालिग बेटी ने छेड़छाड़ से परेशान होकर की खुदकुशी

संगरूर। संगरूर के एक गांव में 11वीं की एक नाबालिग छात्रा ने जहरीली वस्तु निगलकर आत्महत्या कर ली। उसके पिता का आरोप है कि गांव का ही एक नाबालिग लड़का बेटी को परेशान व गलत इशारे करता था, जिससे बेटी परेशान रहती थी। इसी कारण इसने आत्महत्या कर ली। एसएचओ गगनदीप सिंह के अनुसार लड़की के पिता के बयानों पर नाबालिग लड़के के खिलाफ आईपीसी 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह में भेज दिया है। पिता ने पुलिस को बयान दिए कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसकी पत्नी सरपंच है।

हरियाणा सरकार

निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड कॉर्पो/ ऑथ. का नाम	कार्य का नाम निविदा सूचना	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनु.) रु. में	बोर्ड /कॉर्पो/ऑथ. की वेबसाईट	नोडल अधिकारी/संपर्क विवरण/ईमेल
1.	नगर परिषद अम्बाला सदर	एमसी अंबाला सदर में बाहरी बड़ी सड़क पर गैर-प्रबलित एम-40 ग्रेड कंक्रीट फुटपाथ का निर्माण।	06.12.2023 05.01.2024	369.03 लाख	https://etenders.hry.nic.in	mcambalasadar@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in देखें। 13/2024/40/23229/I/10/6

हरियाणा सरकार

निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड /निगम/ प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
1	हारट्रोन	उच्चतर शिक्षा, हरियाणा की ओर से 1918 अदद डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीद करना।	08.12.2023 07.01.2024	9.59 CRORE	https://etenders.hry.nic.in	0172-2704922 dhhardware.hartron@gmail.com

आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

PRDH-13/2024/40/23226/I/10/6

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करें:

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals	Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

निरंतर

नगर निगम रोहतक

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रोहतक की कर शाखा के सम्पत्तिकर के रिकार्ड में नई प्रोपर्टी आई.डी. नं. 1HHHJFF4 पुरानी प्रोपर्टी आई.डी. नं. 138C96U79 पता अर्जुन नगर, रोहतक श्री ज्ञान सागर पुत्र राम प्रकाश के नाम से दर्ज है अब नगर निगम के रिकार्ड में इस आईडी नं. में प्रार्थी जिसका नाम विद्या रानी, गौरव, डिंपल के द्वारा वारसान के आधार पर अपने नाम तबदील करवाना चाहते हैं, यदि किसी भी जनसाधारण को इनके नाम तबदील करने में कोई भी आपत्ति है तो 30 दिन के अन्दर-अन्दर नगर निगम कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवाये, अन्यथा प्रोपर्टी टैक्स में उसके नाम तबदील कर दी जाएगी। जिसके लिए नगर निगम, रोहतक कोई उत्तरदायी नहीं होगा।

क्रमांक नंबर : MCR/ZTO/2023/2676
दिनांकः 07/12/2023 **क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक**

GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, HISAR

(Established by State Legislature Act 17 of 1995)
'A+' Grade NAAC Accredited

ADVT. NO.20/2023

(RE-ADVERTISEMENT OF SOME NON-TEACHING POSTS ADVERTISED VIDE ADVT.NO. 02/2022 & 02/2023)

Online applications are invited on the prescribed form for the various non-teaching posts on regular basis, which were earlier advertised by the University vide advt. No.02/2022 & 02/2023. The online applications forms will be available on the University website w.e.f. **07.12.2023** and the last date for submission of application forms on the University website will be **27.12.2023**. The copy of qualifications may be downloaded from University website. Detailed information with regard to number of posts, qualifications, selection criteria etc. may be seen on the University website (**www.gjust.ac.in**).

REGISTRAR

1237/11/81/2024/23213/10/6

नारी स्वास्थ्य समस्याओं का करो जड़ से इलाज
अभी कॉल करें
7710644444

पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

PSPCL
(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्याः क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599
पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, HISAR

(Established by State Legislature Act 17 of 1995)
'A+' Grade NAAC Accredited

ADVT. NO.20/2023

(RE-ADVERTISEMENT OF SOME NON-TEACHING POSTS ADVERTISED VIDE ADVT.NO. 02/2022 & 02/2023)

Online applications are invited on the prescribed form for the various non-teaching posts on regular basis, which were earlier advertised by the University vide advt. No.02/2022 & 02/2023. The online applications forms will be available on the University website w.e.f. **07.12.2023** and the last date for submission of application forms on the University website will be **27.12.2023**. The copy of qualifications may be downloaded from University website. Detailed information with regard to number of posts, qualifications, selection criteria etc. may be seen on the University website **(www.gjust.ac.in)**.

REGISTRAR

1237/11/81/2024/23213/10/6

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला भिवानी के रा. प्रा. पाठशाला लहलाना खंड कैरू में दिनांक 19.12.2023 को सुबह 11 बजे एक नकारा कमरे की खुली बोली द्वारा नीलामी की जानी है। प्रत्येक बोली दाता द्वारा धरोहर राशि के रुप में 10,000 रुपये का डीडी/ कैश बोली से पहले विद्यालय मुखिया को जमा करवाना होगा। बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने के उपरांत कुल राशि का 25 प्रतिशत मौके पर एवं बकाया 75 प्रतिशत 72 घंटे के अंदर-अदर जमा करवाना होगा। बोली से संबंधित रिर्जव मूल्य व अन्य शर्तें मौके पर बता दी जाएगी।

एसएमसी प्रधान
शरजीत कुमार
मो.न. 9812204547

मुख्य शिक्षक कृष्णा शर्मा
मो.न. 9813077489
रा.प्रा. पाठशाला लहलाना, खंड कैरू

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

नारी स्वास्थ्य समस्याओं का करो जड़ से इलाज
अभी कॉल करें
7710644444

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	**दिन और तारीख**
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत
संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209
ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

Skyline Financial Services Pvt. Ltd.

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत
संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97
ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, HISAR

(Established by State Legislature Act 17 of 1995)
'A+' Grade NAAC Accredited

ADVT. NO.20/2023

(RE-ADVERTISEMENT OF SOME NON-TEACHING POSTS ADVERTISED VIDE ADVT.NO. 02/2022 & 02/2023)

Online applications are invited on the prescribed form for the various non-teaching posts on regular basis, which were earlier advertised by the University vide advt. No.02/2022 & 02/2023. The online applications forms will be available on the University website w.e.f. **07.12.2023** and the last date for submission of application forms on the University website will be **27.12.2023**. The copy of qualifications may be downloaded from University website. Detailed information with regard to number of posts, qualifications, selection criteria etc. may be seen on the University website (**www.gjust.ac.in**).

REGISTRAR

1237/11/81/2024/23213/10/6

ग्राम पंचायत मटौर, खण्ड कलायत जिला कैथल

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मटौर, खंड कलायत, जिला कैथल के शामलात तालाब बादीसर की बोली दिनांक 13-12-2023 दिन बुधवार को प्रातः 10 बजे ग्राम सचिवालय में की जाएगी। बोलीदाता को बतौर जमानत राशि 25000/- रू. जमा करवानी होगी। बोली की अन्य नियम व शर्तें बोली के समय बता दी जाएंगी।

रमेश कुमार (सरपंच)
ग्राम पंचायत मटौर, खंड कलायत
कैथल Ph. : 99927-92777

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

नारी स्वास्थ्य समस्याओं का करो जड़ से इलाज
अभी कॉल करें
7710644444

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

30 लाख का बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते एसडीओ गिरफ्तार, 50 हजार रुपए बरामद

रादौर (यमुनानगर) | एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) करनाल की टीम ने गुरुवार शाम बीडीपीओ कार्यालय में पंचायती राज के एसडीओ संदीप कौशिक को बिल पास कराने की एवज में ठेकेदार से 50 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। रादौर निवासी राजबीर उर्फ राजू पंचायती विभाग में ठेकेदार के तौर पर कार्यरत है। विभाग में कराए गए करीब 30 लाख रुपए के कार्यों के बिलों के भुगतान लिए राजू काफी समय से चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि एसडीओ संदीप कौशिक ने बिल पास कराने के लिए मोटा कमीशन मांगा था। राजबीर उसे 10 हजार रुपए दिए थे और 50 हजार रुपए और देने थे। राजबीर ने विजिलेंस को शिकायत देकर एसडीओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

संगरूर में सरपंच की नाबालिग बेटी ने छेड़छाड़ से परेशान होकर की खुदकुशी

संगरूर। संगरूर के एक गांव में 11वीं की एक नाबालिग छात्रा ने जहरीली वस्तु निगलकर आत्महत्या कर ली। उसके पिता का आरोप है कि गांव का ही एक नाबालिग लड़का बेटी को परेशान व गलत इशारे करता था, जिससे बेटी परेशान रहती थी। इसी कारण इसने आत्महत्या कर ली। एसएचओ गगनदीप सिंह के अनुसार लड़की के पिता के बयानों पर नाबालिग लड़के के खिलाफ आईपीसी 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह में भेज दिया है। पिता ने पुलिस को बयान दिए कि वह खेतीबाड़ी करता है। उसकी पत्नी सरपंच है।

हरियाणा सरकार

निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड कॉर्पो/ऑथ. का नाम	कार्य का नाम निविदा सूचना	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनु.) रु. में	बोर्ड/कॉर्पो/ऑथ. की वेबसाईट	नोडल अधिकारी/संपर्क विवरण/ईमेल
1.	नगर परिषद अम्बाला सदर	एमसी अंबाला सदर में बाहरी बड़ी सड़क पर गैर-प्रबलित एम-40 ग्रेड कंक्रीट फुटपाथ का निर्माण।	06.12.2023 05.01.2024	369.03 लाख	https://etenders.hry.nic.in	mcambalasadar@gmail.com

अधिक जानकारी हेतु कृपया www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in देखें। 13/2024/40/23229/I/10/6

हरियाणा सरकार

निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड /निगम/ प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
1	हारट्रोन	उच्चतर शिक्षा, हरियाणा की ओर से 1918 अदद डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीद करना।	08.12.2023 07.01.2024	9.59 CRORE	https://etenders.hry.nic.in	0172-2704922 dhhardware.hartron@gmail.com

PRDH-13/2024/40/23226/I/10/6

आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

---

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।
(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।
हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी **पताः** 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः** csscootersindia@gmail.com **फोन नंबरः** 0522-3178490

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक